

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (आरएएस)

संख्या:-44/2016

दायर दिनांक:- 06.09.2016

जीसीएमएस नं. 2016/00650

उनवान

विजय पुत्र सम्पत बगै0 जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन जिला
करोली राजस्थान

—प्रार्थी-06

बनाम

विजय पुत्र देवीसिंह बगै0 जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन जिला
करोली राज0

—अप्रार्थीगण-05

प्रार्थना पत्र बाबत ब्रीच

निर्णय

दिनांक:-

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39(2अ) के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 17.10.2016 से आज दिनांक तक तलवाना में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः नुकदना न0 24/2018 महावीरा बनाम रामसहाय आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज किया जा रहा है।

यह निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली